यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी ऊधम सिंह नगर के माह 09/2013 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 23.02.2018 से 27.02.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री.जे.पी.गेरोला व.लेखापरीक्षक एवं श्री प्रेमचन्द्र सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2013 से 21.09.2013 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2004 से 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती,सुदढीकरण,युवा महोत्सव का आयोजन,ग्रामीण क्षेत्रों से संबन्धित खेल विधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण,युवक/महिला मंगल दल का गठन,पंजीकरण एवं मार्गदर्शन,सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को विवेकानन्द यूथ एवार्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना,खेल मैदानों का विकास एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में कार्य निस्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है | कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त ऊधम सिंह नगर जनपद है |

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2013-14	-	-	41.06	41.06	57.30	57.30	_	-
2014-15	-	-	60.16	60.16	147.27	147.27	_	-
2015-16	-	-	74.27	74.27	145.64	145.64	-	-
2016-17	-	-	98.24	98.24	163.70	163.70	-	-
2017-18 जनवरी 18 तक	-	-	177.20	139.00	170.01	128.34	-	79.87

अवशेष धनरा श वर्षांत में शासन को सम र्पत कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(धनरा श लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	शून्य				
2014-15					
2015-16					
2016-17					
2017-18 (jan 2018)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव
2. अपर स चव
3. निदेशक
4. वत्त नियंत्रक
5. संयुक्त निदेशक
6. उप निदेशक

7. सहायक निदेशक
8. सहायक समादेष्टा
9. सहायक लेखा धकारी
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी

1- जनपद स्तर

1-जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी
2-व्यायाम प्र शक्षक
3-वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी /मुख्य सहायक
4-वरिष्ठ सहायक /कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी ऊधम संह नगर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी ऊधम संह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2017 & 03/2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गय

(V) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर:- **1** वत्तीय नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन कर बिना एम.ओ.यू कए निर्माण कार्य कया जाना।

शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 के अनुसार,"कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय एमओयू हस्ताक्षरित कया जाना सुनिश्चित कया जाए।

आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के ज्ञाप सं 143/ जि यो- यू क/ 2014-15 दिनांक फरवरी 10 2015 को युवा केंद्र परिसर में अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु ₹ 110.04 लाख की लागत की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं प्रथम कश्त के रूप में ₹17.45 लाख की धनरा श आवंटित की गयी। उक्त कार्य हेतु वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः ₹ 23.15, ₹ 30.84 एवं ₹ 32.00 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण वभाग उधम संह नगर को कार्यदायी संस्था नियुक्त कया गया।

कार्यदायी संस्था की माह 12/2017 की मा सक प्रगति आख्या के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति 90% थी एवं कार्य धनाभाव के कारण बंद पड़ा था। जांच में पाया गया क कार्य के पूर्ण होने क संभा वत ति थ पूर्व में मार्च 2017 निर्धारित थी एवं पत्रावली में इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ कया गया एमओयू नही था।

लेखा परीक्षा द्वारा एमओयू के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू नहीं कया गया एवं कार्य अवशेष धनरा श निर्गत न होने के कारण बंद पड़ा है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू न कया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:**- 2** वत्तीय नियमों की अवहेलना कर भंडार का भौतिक सत्यापन न कया जाना एवं निष्प्रयोज्य सामग्री घो षत न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम के नियम सं 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अ धकारी, रुद्रपुर क भंडार पंजिका की जांच में पाया गया क वर्ष 2013-14 के बाद वर्तमान तक न तो भंडार का वा र्षक भौतिक सत्यापन कया गया और न ही अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कया गया। परिणामस्वरूप इकाई के पास भंडार में उपयोगी और अनुपयोगी सामाग्री का ववरण उपलब्ध नहीं था और न ही निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कया जाने पर इकाई ने स्वीकार कया क वर्तमान में निष्प्रयोज्य सामाग्री क सूची उपलब्ध नहीं है एवं शीघ्र ही भौतिक सत्यापन कर निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः भंडार के संबंध में वत्तीय नियमानुसार भौतिक सत्यापन नहीं करने एवं निष्प्रयोज्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण नही करने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
96/2013-14	**शून्य**	01,02,03
	शून्य	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………………Nil…………………………………………………………….

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी ऊधम संह नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) Nil

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

नाम	पदनाम	अव ध
श्री एस.सी.पाण्डेय	जि.यु.क.एवं.प्रा.र.द.अ ध	01/06/2013 से 26/08/2014 तक
श्री एम.एस.नागन्याल	जि.यु.क.एवं.प्रा.र.द.अ ध.	27/08//2014 से 24/07/2015 तक
श्री डी.एन.दिव्वेदी.	जि.यु.क.एवं प्रा.र.द.अ ध.	24/07/2015 से17/06/2016 तक
श्री एम.एस.नागन्याल	जि.यु.क.एवं प्रा.र.द.अ ध.	18/06/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी ऊधम संह नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.